बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपवन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि १८ जुलाई, १९५२ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

अदापुर थाना में धान वसूली।

८२। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य-नियंत्रण विभाग, यह वताने की कृपा करेंगे कि—

(क) चम्पारण जिला के अदापुर थाना में चैनपुर गांव के श्री बीर समसेर राउत का धान १९५० में मोतीहारी के मजिस्ट्रेट श्री मित्रा ने फोर्स आदि के साथ जब्त किया था;

(ख) क्या यह बात सही है कि जब्ती और श्री बीर समसेर राउत की गिरफ्तारी और जेल भेज देने के वाद धान तौल कराया गया और जो जब्ती की मनी बतायी गयी थी उसमें कम पाई गयी;

(ग) क्या यह बात सही है कि १९५१ में आधा धान श्री बीर समसेर राउत को मोतीहारी के एस० डी० ओ० ने विहार सरकार की आज्ञा के आधार पर वापस करने का आदेश दिया था, यदि हाँ, तो किस तिथि को आदेश दिया गया और किस तिथि को धान वापस किया गया;

(घ) क्या यह बात सही है कि जिस एस० डी० ओ० ने सरकारी आदेश के अनुसार आधा धान वापस का आदेश दिया उसी एस० डी० ओ० ने शीघ्र स्वयं अदापुर जाकर धान के स्टौकिस्ट की बही में स्वयं आदेश दिया कि जितना धान वापस करने का आदेश हुआ है उसमें ५०० मन नहीं वापस किया जाय, यदि हां तो एस० डी० ओ० ने ऐसा क्यों किया और उन्हें क्या अधिकार था?

श्री हरिनाथ मिश्र—अगर इजाजत हो तो प्रश्न संख्या ८२, ८३, ८४ को एक ही वार जवाब दिया जाय।

(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) २८ अक्तूवर, १९५० को श्री बीर शमशेर राउत कचहरी में हाजिर हुये और हिरासत में भेज दिये गये। स्टाक तौला गया और १ नवम्बर से ३ नवम्बर तक हटा दिया गया। तौल करने पर जब्त किया हुआ स्टाक २,२४८ मन निकला। जब्त करने के समय सबडिवीजनल अफसर ने धान का अन्दाजा ५,००० मन लगाया था।

विधान कार्य : गैर-सरकारी विधेयक।

LEGISLATIVE BUSINESS: NON-OFFICIAL BILLS.

बिहार वक्फस् (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ (सन् १९५२ का बिल संख्या १९)।

THE BIHAR WAQFS (AMENDMENT) BILL, 1952 (BILL NO. 19 OF 1952).

Shri SAGHIRUL HAQUE: Sir, I beg leave of the House to introduce the Bihar Waqfs (Amendment) Bill, 1952.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

दि बिहार वक्फस् (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Shri SAGHIRUL HAQUE: Sir, I beg to introduce the Bill.

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टेड टेनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ (१९५२ का बिल संख्या २०)।

THE BIHAR PRIVILEGED PERSONS HOMESTEAD TENANCY (AMENDMENT) BILL, 1952 (BILL NO. 20 OF 1952).

श्री सुबोध नारायण यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

दि बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टेड टेनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

दि बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टेड टेनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध नारायण यादव—मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इसी विषय पर, इसी उद्देश्य से, गवर्नमेंट एक बिल ला रही है, इसलिये यदि माननीय सदस्य अपने इन मोशन्स को न पेश करें तो अच्छा होता।